न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

S/91 गोपाराम बनाम राम कुंवार

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	39/21 आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/10/2022	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय स्थानान्तरण/अवकाश ... अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-11-2022 को पेश हो।
	4/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व प्रतिवादी-1 के अधिवक्ता उप०। उप० तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्ष आ. ता. पेशी पर आवश्यक रूप से कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस करें। पत्रावली बहस कुर्रेजात दिनांक 11/11/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	(हस्ताक्षर) R.No 1	
	11/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी [illegible] ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। लिहाजा वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sh
Date: 2023.01.05 14:33:53
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 39/2021

वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.06.2021

गोदाराम पुत्र नोला जाति अहीर निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... **वादी**

बनाम

1. रामकुवांर पुत्र नोला जाति अहीर निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर (राज)।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

..........**प्रतिवादीगण**

दावा अंतर्गत धारा – 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

(1) श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री सीताराम जाट – अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।
(3) श्री गौतम कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

दिनाँकः– 11.11.2022

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अटलबिहारीपुरा पटवार हल्का देवगुढा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 58 व पुराना 50 के खसरा नंबर 39 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 रकबा 0.3000 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2500 हैक्टेयर स्थित है। [illegible] वादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर पूर्व में हुए [illegible] भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु उक्त [illegible] आराजीयात का आज तक बाई मीट्स एंड बाउण्डस के आधार पर तकासमा विधिवत रूप से नहीं हुआ है। वादग्रस्त संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हो जाने तक अभिवाजित भूमियों के किसी भी इंच पर किसी भी प्रकार का निर्माण किये जाने का अभिवाजित भूमियों के किसी भी इंच पर किसी भी प्रकार का निर्माण किये जाने का प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमियों का कानूनन बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मीट्स एंड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कराने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा वादी को धमकियां देने लगे हैं। वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करवा लेवे कि वे जब तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों का तकासमा विधिनुसार नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि भूमि विवादग्रस्त का विभाजन कर वादी को उनके हिस्से की भूमि का अलग खाता व लगान कायम करें व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए कि वे विवादित भूमि में वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी में दखलअंदाजी न करें।

प्रतिवादीगण की विधि अनुसार तलवी की गई। दिनांक 08.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान देवगुढा कैम्प में वादी गोदाराम व प्रतिवादी रामकुंवार दोनों उपस्थित। दोनों ने सहमति से प्राथमिक डिक्री हेतु पत्र पेश किया। तथा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाये गये।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. गोदाराम पुत्र नोला हि. जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई शाखा जैतपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 39/1 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40/4 रकबा 0.147 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50/1 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.622 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।
2. रामकुंवार पुत्र नोला जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 39/2 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40/2 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40/5 रकबा 0.147 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50/2 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.622 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
3. गोदाराम पुत्र नोला हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई शाखा जैतपुरा रामकुवार पुत्र नोला हि. 1/2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से में 40/3 रकबा 0.0060 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0060 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 39 / 2021
बउनवानी – गोदाराम बनाम रामकुवांर वगै0
निर्णय दिनांक – 11.11.2022

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी **सुनील शर्मा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या 39 / 2021

निर्णय दिनांक 11.11.2022

गोदाराम पुत्र नोला जाति अहीर निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. रामकुवांर पुत्र नोला जाति अहीर निवासी ग्राम अटलबिहारीपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर (राज)।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

..........प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक 11.11.2022

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. गोदारमा पुत्र नोला हि. जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार राहिन एस बी आई शाखा जैतपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 39 / 1 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 / 1 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 / 4 रकबा 0.147 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 / 1 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.622 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।
2. रामकुंवार पुत्र नोला जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 39 / 2 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 / 2 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 / 5 रकबा 0.147 हैक्टेयर, खसरा नंबर 50 / 2 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.622 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
3. गोदाराम पुत्र नोला हि. 1 / 2 जाति अहीर (यादव) सा. देह खातेदार [illegible] आई शाखा जैतपुरा रामकुवार पुत्र नोला हि. 1 / 2 जाति अहीर (यादव) [illegible] देह खातेदार के हिस्से में 40 / 3 रकबा 0.0060 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0060 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 39 / 2021
बउनवानी – गोदाराम बनाम रामकुवांर वगै0
निर्णय दिनांक – 11.11.2022

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 11.11.2022 को जारी किया ।

दस्तखत ---
ओहदा ---

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:53 IST
Reason: SelfAttested